न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 16/368

1. मनफूल आयु 58 वर्ष आत्मज गोपी लाल जाति मीणा निवासी रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. श्रीमती कमला बाई आयु 65 वर्ष पुत्री गोपी लाल पत्नी हरपाल जाति मीणा निवासी धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. लाडबाई आुय 60 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी अर्जुन जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम आयु 30 वर्ष आत्मज रामफूल जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. खानी बाई बेवा रामफूल जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. आशाराम आत्मज रामफूल जाति मीणा निवासी रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 3/1. सन्तरा बाई बेवा आशाराम जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   - 3/2. मोनू आयु 12 वर्ष आत्मज आशाराम जाति मीणा जरिये नाबालिग संरक्षक माता सन्तरा बाई बेवा आशाराम जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   - 3/3. पप्पू आयु 02 वर्ष आत्मज नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सन्तरा बाई बेवा आशाराम जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती मन्नी बाई पुत्री गोपी लाल पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 16/369

1. मनफूल आयु 58 वर्ष आत्मज गोपी लाल जाति मीणा निवासी रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. श्रीमती कमला बाई आयु 65 वर्ष पुत्री गोपी लाल पत्नी हरपाल जाति मीणा निवासी धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. लाडबाई आुय 60 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नी अर्जुन जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम आयु 30 वर्ष आत्मज रामफूल जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. खानी बाई बेवा रामफूल जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. आशाराम आत्मज रामफूल जाति मीणा निवासी रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. सन्तरा बाई बेवा आशाराम जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   3/2. मोनू आयु 12 वर्ष आत्मज आशाराम जाति मीणा जरिये नाबालिग संरक्षक माता सन्तरा बाई बेवा आशाराम जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   3/3. पप्पू आयु 02 वर्ष आत्मज नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सन्तरा बाई बेवा आशाराम जाति मीणा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती मन्नी बाई पुत्री गोपी लाल पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 24.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.03.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से तथा समान पक्षकार होने से एवं उक्त अपील समान प्रकृति की होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में शमिल किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर नये 3420 रकबा 0.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 3421 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी वादीगण क्रम 1 व 2 की दादी श्रीमती कंवरी बाई बेवा गोपीलाल के नाम दर्ज थी । कंवरी बाई का देहान्त होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूमि में मृतक कंवरी बाई के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 24.09.2004 को उसकी तीनों पुत्रियों प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के नाम अंकित कर दिया जबकि मृतक कंवरी बाई के हिस्से की कृषि भूमि वादीगण क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम अंकित होनी चाहिए थी । पक्षकारान जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मीणा जाति अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होने के

कारण गोपीलाल की मृत्यु के बाद उनकी तीनों पुत्रियों प्रतिवादीगण क्रम 2 से 4 के नाम नामान्तरकरण नहीं खुला था क्योंकि मीणा जाति में पुत्र के रहते हुए पुत्रियों का कोई हक नहीं बनता है ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/2 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जावे व वर्तमान इन्द्राज को दुरूस्त करके राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण क्रम 2 से 4 का नाम विलोपित किया जावे तथा वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि को वादीगण के नाम पृथक खाते दर्ज किया जावे एवं पृथक कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के 1/2 हिस्से में दखल उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

5. प्रतिवादी क्रम 1 से 4 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.03.2009 के द्वारा द्रावा एंव जवाबदावा के आधार पर कायम तनकीयात पर अपना विवेचन करते हुए दावा वादी डिक्री कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया तथा अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में बुरी के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट भिजवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 24.02.2010 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.03.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक कंवरी बाई को उसके हिस्से में दर्ज कृषि भूमि उसके पति गोपीलाल की मृत्यु के बाद बतौर विरासत के रूप में प्राप्त हुई और विरासत में प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी विधवा को माना गया है तथा विधवा की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति में विधिक हक कानूनन उसकी पुत्रियों में निहित होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विधान को पूर्णतया नजर अन्दाज करते हुए अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 4 के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं अंतिम डिक्री में वादग्रस्त आराजी का विभाजन किये जाने बाबत् तहसीलदार इन्द्रगढ को बंटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया था लेकिन आराजी के सम्बन्ध में बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा पक्षकारों को तलब कर उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गई बल्कि बंटवारा रिपोर्ट पटवारी हल्का, कानूगो के द्वारा तैयार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट खाते की नकल लेने पटवारी हल्का लाखेरी के पास दिनांक 12.07.2016 को गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि नामान्तरकरण संख्या 582 दिनांक 24.06.2010 से से आपके खाते में से कंवरी बाई की पुत्रियों का नाम हटाकर विभाजन कर

दिया है और अमल दरामद भी कर दिया है जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री 26.03.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2010 की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. उक्त दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी कंवरी बाई के खाते की थी जिसको उसकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके वारिसों के नाम दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.03.2009 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की और बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.02.2010 को अंतिम डिक्री जारी की है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि कंवरी बाई की मृत्यु पर जो नामान्तरकरण खोला गया था वह पूर्ण वैधानिक है । पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार काबिज हैं । कंवरी बाई को आराजी गोपीलाल की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई थी । विधवा पुरानी हिन्दू विधि में विरासत में प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी माना गया है और उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति में उसकी पुत्रियों का हित निहित होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात पर विवेचन विधि सम्मत रूप से नहीं किया है । स्त्रीधन की प्रथम उत्तराधिकारी अविवाहित पुत्रियॉ होती हैं यदि अविवाहित पुत्रियॉ न तो तो विवाहित पुत्रियॉ होती हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलान्ट ने विलम्ब के लिए धारा 05 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका कोई जवाब एवं शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है ।

12. अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व नियमों की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को न तो मौके पर बुलाया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आए हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.03.2009 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2010 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 2002 पेज 738, आरएलडब्ल्यू 2006 (4) पेज 265, आरएलडब्ल्यू 2006 (1) पेज 276, आरआरडी 2017 पेज 382 उद्धरत पेश किये ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गोपी के खाते की थी । गोपी लाल की मृत्यु होने जाने पर आराजी उनकी विधवा कंवरी बाई पुत्र मनफूल व आशाराम, राधेश्याम पुत्र रामफूल, खानी बाई बेवा रामफूल के खाते दर्ज हुई थी । उस समय गोपी की पुत्रियों के नाम इंतकाल नहीं खोला गया । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं उसमें पुरूष उत्तराधिकारी के रहते हुए पुत्रियों को कोई अधिकार पिता की सम्पत्ति में नहीं होता है । इसके उपरान्त कंवरी बाई की मृत्यु के बाद जो इंतकाल खोला गया तो उसमें मुन्नी बाई, कमलाबाई एवं लाडबाई पुत्रियॉ गोपी लाल का नाम भी दर्ज किया गया है जबकि उनका कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा स्वीकार किया है । अपीलांन्ट द्वारा उक्त अपील गंभीर विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया गया है । गोपी लाल की मृत्यु हो जाने पर कंवरी बाई का नाम गलत रूप से दर्ज किया है । वादग्रस्त आराजी कंवरी बाई का स्त्रीधन नहीं है । यदि अपीलान्ट के अभिभाषक ने उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी थी तो अपीलान्ट को अपने अभिभाषक के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी । वादग्रस्त आराजी गोपी लाल से विरासत में प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । अंतिम डिक्री प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विधि सम्मत रूप से जारी की गई थी । अतः अपीलें अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2002 पेज 31, आरआरटी 1981 पेज 361, आरआरडी 1988 पेज 61 उद्धरत की हैं ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श– 1 पेश की जिसमें वादग्रस्त आराजी मनफूल पुत्र गोपीलाल, कंवरी बेवा गोपी लाल, आशाराम, राधेश्याम पिसरान रामफूल व खानी बेवा रामफूल कौम मीणा के खाते खातेदारी में दर्ज है और इंतकाल संख्या 266 दिनांक 24.09.2004 से मृतक गोपी के स्थान पर मनफूल वल्द गोपी व आशाराम, राधेश्याम पिसरान रामफूल व खानी बेवा रामफूल, मन्नी बाई, कमला बाई एंव लाडबाई पुत्रियॉ गोपी का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 2 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2042 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मनफूल वल्द गोपीलाल व कंवरी बेवा गोपी व आशाराम, राधेश्याम पिसरान रामफूल व खानी बेवा रामफूल का नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 4 संलग्न है ।

16. पत्रावली में बयान आशाराम पी.डब्ल्यू.– 1 , बयान कान्हा राम पी.डब्ल्यू.–2, बयान खानी पी. डब्ल्यू. – 3 कराए गये है।

17. प्रतिवादी की ओर से न तो कोई दस्तावेज पेश किये हैं और न ही कोई बयान कराए हैं । वादी के गवाहों से जिरह भी प्रतिवादी की ओर से नहीं की गई है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.03.2009 को जारी की गई है उसमें वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी कम 2 से 4 का नाम विलोपित करने का आदेश दिया है । अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ जो अपील पेश की है उसमें मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी कंवरी बाई की सम्पत्ति है जो हिन्दू विधि के अनुच्छेद 114 के अनुसार स्त्रीधन है और स्त्रीधन पुरानी हिन्दू विधि के अनुच्छेद 147 के अनुसार अविवाहित पुत्रियों और उसके बाद विवाहित पुत्रियों को प्राप्त होगा । हम अपीलान्ट के अभिभाषक के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी गोपीलाल

के खाते में दर्ज थी । वादी के द्वारा अपने दावे की मद संख्या 4 में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी गोपी लाल के खाते दर्ज थी । प्रतिवादीगण ने जो जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया है उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में गोपी लाल के नाम दर्ज थी । गोपी लाल की मृत्यु हो जाने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी मुताबिक प्रदर्श– 3 मनफूल वल्द गोपीलाल व कंवरी बेवा गोपी व आशाराम, राधेश्याम पिसरान रामफूल व खानी बेवा रामफूल का नाम खातेदारी में दर्ज हुई है । चूँकि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं इस कारण गोपीलाल की मृत्यु के उपरान्त उनकी बेवा कंवरी का नाम गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है । पुरूष उत्तराधिकारी होने पर बेवा एवं पुत्रियों को पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार पिता/पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी में कंवरी बाई का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है । वादग्रस्त आराजी कंवरी बाई का स्त्रीधन नहीं है । ऐसी स्थिति में कंवरी बाई की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्रियों का नाम जो इंतकाल संख्या 266 से दर्ज किया गया है वह गलत है । पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार कंवरी बाई का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा निहित नहीं था । मात्र नामान्तरकरण उनके नाम खोले जाने के आधार पर वादग्रस्त आराजी में उनका कोई अधिकार नहीं माना जा सकता । तद्नुसार उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके हिस्से में प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 का नाम द्वारा गलत रूप से दर्ज किया गया है इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है ।

19. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चूँकि पक्षकारान पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं ऐसी स्थिति में गोपी की मृत्यु के उपरान्त वादिनी कम 3 खानी बाई बेवा रामफूल का नाम आशाराम, राधेश्याम आत्मज रामफूल के साथ दर्ज किया गया है वह भी विधि – विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी वादीगण आशाराम, राधेश्याम का 1/2 हिस्सा और मनफूल का 1/2 हिस्सा निहित है तद्नुसार धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ के निर्णय और प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.03.2009 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"ग्राम लाखेरी की जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 की खाता संख्या 362 की आराजी खसरा नम्बर 3420 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 3421 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.25 हैक्टर पर से वादिनी कम 3 खानी बाई व प्रतिवादीगण कम 2 लागायत 4 के नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादग्रस्त आराजी के वादीगण कम 1 व 2 एवं प्रतिवादी कम 1 को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है" ।

20. प्रस्तुत प्रकरण में जहाँ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री जारी की है विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं हुए हैं । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई एंव आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियमों की पालना नहीं की है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री निरस्तनीय है ।

21. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 16/368 प्राथमिक डिक्री खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट संख्या 16/369 अंतिम डिक्री की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री में संशोधन करते हुए खानी बाई का नाम विलोपित किया जाता है । वादग्रस्त आराजी में वादी क्रम 1 व 2 को 1/2 हिस्से का और प्रतिवादी क्रम 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 24.02.2010 खारिज की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के संशोधन अनुसार तहसीलदार से राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 15.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

22. निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(4) श्रीमति